

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर (राज.)

क्रमांक :- जिविसेप्रा/निविदा/2026/02

दिनांक 29.04.2026

सीमित निविदा सूचना 02/2026-27

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक - एफ.7(23)/रालसा/एनएलए पत्राचार/2026/252 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालतों के सफल एवं सूचारु संचालन के क्रम में धारा 138, एनआई एक्ट के प्रकरणों के बेहतर प्रबन्धन, छटनी, रेफरेन्स एवं अधिकाधिक प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर के लिए निविदा सेवा के अन्तर्गत 01 कम्प्यूटर मशीन विद् मैन दिनांक 31 मार्च, 2027 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु RTPP Act 2012 and Rule 2013 के तहत सीमित निविदा के लिए अनुरोध में दिये गये दिशा निर्देशानुसार पंजीकृत/योग्य फर्मों से सिमिति निविदा दरे दिनांक 07.05.2026 को प्रातः 10 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा दिनांक 07.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे खोली जावेगी।

संलग्न:- सीमित निविदा प्रपत्र का प्रारूप व सम्पूर्ण शर्त सहित।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
डूंगरपुर

क्रमांक :- जिविसेप्रा/निविदा/2026/09-14

दिनांक 29.04.2026

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. माननीय सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को सूचनार्थ।
2. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर को सूचनार्थ।
3. लेखाकार, जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि एसपीपी पोर्टल अपलोड करें।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर की वेब साईट पर अपलोड करावे।
5. नोटिस बोर्ड जिला कलेक्ट्रेट, डूंगरपुर व जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
6. फर्म
7. कार्यालय प्रति।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
डूंगरपुर

Mary

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर (राज.)
सिमित निविदा (तकनीकी) प्रपत्र

सिमित निविदा जारी करने की तिथि : दिनांक 29.04.2026
सिमित निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : दिनांक 07.05.2026 प्रातः 10 बजे तक
सिमित निविदा खोलने की तिथि : 07.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे
किसको सम्बोधित किया जाना है/संदर्भ : श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
फर्म/बोलीदाता/संवेदक का नाम व पता :

फोन नं./मो.नं. :
ई-मेल आई डी :
बैंक का नाम :
बैंक का आईएफएस कोड :
बैंक खाता संख्या :

- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में पूर्णतः अस्थायी तौर पर सेवा प्रदाता एजेन्सी/संवेदक से अनुबन्ध पर मेन विद मशीन हेतु निविदा।
- सम्पर्क सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर की कोटेशन सूचना :- क्रमांक /जिविसेप्रा/निविदा/02 दिनांक 29.04.2026
- हम कार्यालय हाजा द्वारा जारी कोटेशन सूचना सं. 02/2026-27 दिनांक 29.04.2026 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त कोटेशन सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर किये हैं।
- सेवा प्रदाता एजेन्सी /संवेदक से सम्बन्धित तकनीकी योग्यता सम्बन्धी विवरण :-

Status of Agency :-

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन, 1970)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत (पंजीकरण प्रमाण-पत्र)				
7	किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।				
8	किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड न होने सम्बन्धी स्वयं का घोषणा पत्र।				

(कृपया उपरोक्त सारणी अनुसार प्रत्येक आवश्यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र/सत्यापित प्रतिलिपि अनिवार्यतः संलग्न करें। श्रम कानूनों में रजिस्टर न होने पर संबंधित घोषणा पत्र लगाना होगा।)

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय नाम व मोहर

Handwritten signature

—: निविदा की मुख्य शर्तें :—

महत्वपूर्ण निर्देश :- The law relating to procurement "The Rajasthan transparency in public procurement act, 2012" (hereinafter called the act) and the rajasthan transparency in public procurement rules, 2013 (hereinafter called the act) under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal www.sppp.rajasthan.gov.in therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with provisions to the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the act and the rules and this bidding document, the provision of the rules shall prevail.

1. निविदा दरे मोहर बन्द लिफाफें में प्रस्तुत की जावें। लिफाफा " सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंजरपुर के नाम भिजवाये/जमा कराये।
2. निविदा प्रपत्र व वित्तीय कोटेशन प्रपत्र इस कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा स्याही/बॉल पेन/टंकण से ही स्पष्ट लिपि में अंकित की जावें एवं कटिंग/ऑवर राइटिंग नहीं की जावें, कटिंग/ऑवर राइटिंग होने पर लघु हस्ताक्षर कर स्पष्ट करें। पेन्सिल से भरी गई निविदा निरस्त मानी जावेगी।
4. बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप/प्रपत्र को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
5. निविदा प्रपत्र में दरें (राशि अंको में तथा शब्दों में स्पष्ट हो) अंकित करें। भिन्नता, अस्पष्टता होने पर शब्दों में अंकित दरें ही मानी जायेगी।
6. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंजरपुर को अविलम्ब सूचित किया जायेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्वों से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूर्ववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जायेगा।
7. संविदा के सम्बन्ध में नई फर्म के तब तक कोई नया भागीदार स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक की वह समस्त निर्बंधों व शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हो और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंजरपुर के समक्ष इस आशय का लिखित करार जमा न करा दे।
8. भुगतान :-
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रदायदाता को भुगतान किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। जीएसटी एव टीडीएस की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
9. वित्तीय निविदा प्रपत्र में दरें जीएसटी सहित दी जावे। जीएसटी का भुगतान नियमानुसार लागू होने वाली फर्म को अतिरिक्त देय होगा। जिसके लिए पूर्व में भरे गये जीएसटी के चालान की प्रमाणित प्रति बिल के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
10. GST पंजीकरण की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। GST पंजीकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि आयकर विवरणी संलग्न नहीं करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. प्रदाय आदेश के बाद सम्बन्धित को आवश्यकतानुसार मशीन विद मेन उपलब्ध करवाना होगा।
12. सेवा अनुबंध के तहत कार्मिकों से अपेक्षित कार्य कराये जाने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म/कम्पनी/संस्थान के माध्यम से आमंत्रित कोटेशन अनुसार पदों की संख्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अधिकतम सकल मानदेय निम्नानुसार निर्धारित है :-
(1) सेवा एजेन्सी द्वारा संविदा पर उपलब्ध कराई जाने वाली मेन पावर पूर्णतः अस्थाई होगी तथा संविदा की अवधि समाप्त होते ही कार्य में लगाई गई मेन पावर स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

Handwritten signature

- (2) सेवा ऐजेन्सी द्वारा वही मेन पावर लगाई जाये जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हो, कार्य में दक्ष हो व कार्यालय में स्वीकार्य हो।
- (3) कम्प्यूटर ऑपरेटर की न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा हिन्दी, अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर) तथा अंग्रेजी स्टेनो न्यूनतम गति हिन्दी 25 एवं अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनिट का ज्ञान होना आवश्यक है। पेजमेकर एवं कोरल ड्रा के जानकार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- (4) सेवा ऐजेन्सी/संवेदक द्वारा अवयस्क व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगायेगी।
- (5) कम्प्यूटर ऑपरेटर की आयु सीमा 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिएँ।
- उपरोक्त के लिए लेखाशाखा/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शर्तों को पूरा करने की पुष्टि उपरान्त ही कार्यालय में कार्य हेतु नियुक्त किया जायेगा।
13. श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। श्रम नियमों की अनुपालना का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ऐजेन्सी का होगा। श्रम विधि के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत रखे जाने वाले समस्त रेकार्ड को सुरक्षित संधारित करने की सेवा ऐजेन्सी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
14. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केंद्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व निविदादाता का होगा।
15. निविदा दाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जाएगा। सम्बन्धित निविदा दाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही निविदादाताको आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा। सेवा ऐजेन्सी/संवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई मेन पावर को पारिश्रमिक का भुगतान स्वयं ऐजेन्सी को ही अगले माह की 5 तारीख तक करना होगा।
16. निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह का बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
17. आयकर की नियमानुसार कटौती की जावेगी। सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज की राशि पर ही कर देय होगा न कि श्रमिक की मजदूरी पर। निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर की (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर के (GST) सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/सन्दर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदा पर लगे श्रमिकों की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप में दुर्घटना/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार सेवा ऐजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। इसके लिये इस कार्यालय द्वारा कोई भार वहन नहीं किया जायेगा।

Handwritten signature

19. यदि सेवा ऐजेन्सी के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में अनुतोश पाने हेतु कार्यवाही करता है और उसमें सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर या अन्य अधिकारी को भी पक्षकार बनाता है तो इस कार्यालय पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार सेवा ऐजेन्सी को वहन करना होगा। किसी वाद विवाद में न्यायालय का स्थान डूंगरपुर होगा।
20. संविदा अवधि में संविदा के दोनो पक्षों निविदादाता/संवेदक एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर या उनके मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थ वार्ता में दोनो पक्ष अपना एक-एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे। मध्यस्थता में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
21. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
22. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर श्रमिकों के हितों में किये जाने वाले प्रावधानों की पालना करने का दायित्व सेवा ऐजेन्सी का होगा।
23. निविदा में भाग लेने वाली ऐजेन्सी पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिएं।
24. किसी भी निविदा को बिना कारण बताएँ स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर का होगा।
25. सेवा अनुबन्ध सामान्यतः 31/03/2027 तक होगा जोकि आगे राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा। कार्य सन्तोषजनक नहीं होने, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति समाप्त होने अथवा अपरिहार्य कारण उत्पन्न होने पर अनुबन्ध वर्ष के बीच में कभी भी तत्काल समाप्त किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे सेवा ऐजेन्सी को मानना होगा।
26. ऑपरेटर का कार्यालय समय कार्यालय समयानुसार रहेगा। ऑपरेटर को राष्ट्रीय अवकाश ही देय होंगे। आवश्यकता होने पर अवकाश दिवस को भी बुलाया जा सकता है, जिसकी एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जा सकेगा।
27. कम्प्यूटर मशीन विद् मेन के अनुपस्थित रहने पर उसके पारिश्रमिक से नियमानुसार प्रति कार्य दिवस की दर से कटौती की जावेगी।
28. सेवा ऐजेन्सी को समस्त कार्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर या उसके अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निरीक्षण में सम्पादित करना होगा।
29. कम्प्यूटर मशीन विद् मेन को कार्यालय कार्य की गोपनीयता रखनी होगी। किसी भी प्रकार से गोपनीयता भंग होने की शिकायत पर निविदादाता के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावेगी।
30. सेवा ऐजेन्सी/संवेदक द्वारा दी गई अन्य कोई शर्तें एवं सशर्त निविदा मान्य/स्वीकार्य नहीं होगी।
31. सेवा आपूर्ति संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों का चाल-चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके सम्बन्ध में सेवा ऐजेन्सी को पूर्ण जिम्मेदारी होगा।
32. निविदादाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
33. स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता द्वारा कम्प्यूटर मशीन विद् मेन उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर द्वारा खुले बाजार से कम्प्यूटर मशीन विद् मेन हायर किये जायेंगे, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर के द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता के बिलों से कटौती की जावेगी।
34. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये ऑपरेटर के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम

Handwritten signature

मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजकीय अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

35. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को प्रेषित की जानी होगी।
36. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर मशीन विद् मेन की सेवाएँ सन्तोषप्रद नहीं होने पर उसे हटाया जा सकेगा। एक बार लगाये गये डाटा कम्प्यूटर मशीन विद् मेन को अनुबन्ध अवधि में बदला नहीं जायेगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में बदलना पड़े तो इस कार्यालय की लिखित में पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।
37. किसी शर्त/बिन्दू पर टकराव की स्थिति में राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रावधान/आदेश ही मान्य होगा।
38. बाल श्रमिक नियोजित नहीं करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
39. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 2(Xiii) के अनुसार प्रतिफल के बिना अर्थात् शून्य (0) सर्विस चार्ज होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
40. एक से अधिक निविदादाताओं की वित्तीय दरें समान होने पर निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर सफल निविदा का चयन किया जाएगा—

(I) निविदा दाता का गत तीन वर्षों के औसत टर्नओवर जिसका अधिक होगा, चयन के लिए पात्र होगा।

(II) यदि औसत टर्नओवर एक से अधिक निविदा दाता का समान होने पर पिछले 12 माह में उनको प्राप्त कार्यादेश की प्रतियों के अनुसार अधिकतम नियोजित कार्मिकों की संख्या के आधार पर प्राथमिकता तय की जावेगी।

46. निविदा सम्बन्धी नियम व शर्तें वित्त विभाग के आदेशों के अधीन है, जिनमें परिवर्तन अनुसार शर्तों में भी परिवर्तन माना जावेगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैंने/उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है, जो हमें स्वीकार्य हैं, जिसकी सहमति के रूप में प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
अनुलग्नकों की सूची:—

Annexure-A: वित्तीय कोटेशन प्रमत्र

Annexure-B: Compliance with the code of integrity and No conflict of Interest.

Annexure-C: निविदादाता द्वारा घोषणा (not being black listed)

मैंने/संस्था ने उपर्युक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लिया है, तथा उपर्युक्त से सहमत हूँ।

बोलीदाता का नाम व हस्ताक्षर
मय मुहर

Handwritten signature

Annexure-B

अन्य सभी नियम व शर्तें वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F9(1)FD-1(1) Bud/2004 dated 28.07.2008 एवं एफ2 (1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन रहेगी।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम (फर्म का नाम) द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने मय सील हस्ताक्षर कर दिए हैं।

बिड में संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे द्वारा कर ली गई है। जो मौलिक रूप से सही है। जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ इसमें यदि किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड निरस्त करने/विधि सम्मत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त सभी वर्णित शर्तें 1 से 44 तक को मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ एवं इनकी अनुपालना करूंगा।

G.F.&A.R.Part-II Rule 48 (vii) निविदादाता द्वारा दी जाने वाली घोषणा (एस आर प्रारूप 11)

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालो/स्टोर्स/उपकरणों के लिये निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनोफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल/ सैलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहरत कर लिया जायेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय नाम व सील

Manoj

राजस्थान सरकार

Annexure-A

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर

सेवा प्रदाता एजेन्सी/संवेदक के माध्यम से कम्प्यूटर मशीन विद् मेन बाबत
वित्तीय सीमित निविदा प्रपत्र (लिफाफे में)

(जीएसटी का भुगतान बिल राशि पर अलग से देय होगा यदि फर्म जीएसटी के दायरे में आये एवं फर्म द्वारा पूर्व में भरे गये जीएसटी का चालान प्रमाणित कर बिल के साथ संलग्न करे।)

1. कम्प्यूटर मशीन विद् मेन की सेवाएँ पूर्णतया अस्थायी अनुबन्ध पर लगाये जाने हेतु सीमित निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/सेवा एजेन्सी /संवेदक का नाम व पता

3. सन्दर्भ :- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर की निविदा सूचना संख्या
दिनांक के द्वारा जमा करा दी गई है।

4. सेवा अनुबन्ध पर कम्प्यूटर मशीन विद् मेन लगाये जाने हेतु हमारी सकल दरें (सभी करों सहित) प्रतिमाह निम्नानुसार होगी :-

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता /संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	वस्तु एवं सेवा कर (नियमानुसार)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मासिक आधार पर कम्प्यूटर मशीन विद् मेन	उच्च कुशल-	रु.9334/- (रु. नौ हजार तीन सौ चौतिस)		13 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत			(अंको में) (शब्दों में)	(अंको में) (शब्दों में)

5. राज्य सरकार/भारत सरकार को नियमानुसार देय समस्त वैधानिक कटौतियाँ प्रस्तावित सकल दर में शामिल है, जो हमारे द्वारा वहन की जावेगी।
6. उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1, 4 व 6, 7 की पूर्तियाँ संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8, 9 व 10 में ही बोलीदाता द्वारा समूचित प्रविष्टियाँ की जा सकेंगी।
7. मैं/हम (फर्म का नाम) जारी की गई निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय नाम व सील



Annexure - C

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हम जिस सेवा प्रदाता कार्य की आपूर्ति का कार्य जहां कहीं भी किया है उस कार्य हेतु विगत तीन वर्षों में कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण हमें किसी सरकार विभाग उपक्रम कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह घोषणा करते हैं कि हमें किसी न्यायालय में सेवा प्रदाता कार्य के संदर्भ में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम.....